

30/4/26

पतावली पेश हुई, वकील अमरपट्टा उपस्थित
 बहाना प्रस्तुत कर के परिप्रेक्ष्य से पतावली का
 मकसद विद्यमान ग्राम / ग्राम तालिकाओं
 की वास्तविक भूमि खता 60215 किता
 4 कुल रकबा 1.4097 हेक्टर के प्राचीन
 रिकॉर्ड खाते का हक है। प्राचीन का
 कथन है कि प्राचीन के पिता वाला भी
 वल्स काल माली ने उक्त भूमि प्राचीन
 1 को तहरीर दिनांक 11/11/1975 से बेचान
 कर दिया साथ हीमा पा। तभी से प्राचीन
 1 का अध्यादेश चला आ रहा है। प्राचीन
 का कभी अध्यादेश नहीं रहा है।

प्राचीन 1 द्वारा कोई रजिस्ट्रार के
 या unregistered sale deed पेश नहीं की
 है। तहरीर दिनांक 11/11/1975 भी पेश नहीं
 की है। 50 वर्षों के अध्यादेश के अभाव
 पर कोई Khatedami rights भी प्राप्त नहीं
 होते हैं (adverse possession)। अतः प्रकरण
 प्रथम दृष्टया व सुविधा का हलुका भी
 प्राचीन के पक्ष में है। प्राचीन ने 50 वर्ष
 के अध्यादेश का कोई लक्षण नहीं देखा
 प्रकल्पित इतिहास भी प्राचीन को मान्य होगा।
 अतः प्राचीन का प्रकरण हीमा
 का प्राचीन 1 के प्राचीन अध्यादेश है।
 प्राचीन के अध्यादेश विधेया से प्रकल्पित
 है कि वह अध्यादेश अध्यादेश नहीं करे। प्राचीन
 प्रकल्पित हलुका नहीं देगा। अध्यादेश
 लक्षण लक्षण है।



उपखण्ड अदालत
 मिडवा, जिला झंझारवाड़